हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

मानव विकास समिति

(तेरहवीं विधान सभा)

(2022-23)

आयुष विभाग

..40..वाँ.....मूल प्रतिवेदन

आयुष विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित।

(दिनांक 19-08-2022 को सदन में उपस्थापित किया गया।)

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
1.	समिति का गठन	(ii)
2.	प्रस्तावना	(iii)
3.	प्रतिवेदन	1-9
	अध्याय-I	2-5
	समिति जिन आश्वासनों के विभागीय उत्तरों से सन्तुष्ट हुई और उन्हें समाप्त करने का निर्णय लिया, का विवरण।	
	अध्याय-II	6
	समिति जिन आश्वासनों के विभागीय उत्तरों से सन्तुष्ट नहीं हुई तथा अतिरिक्त जानकारी हेतु लम्बित रखने का निर्णय लिया, का विवरण।	
परिशिष्ट-I	समाप्त आश्वासनों की सूची।	7
परिशिष्ट-II	लम्बित आश्वासनों की सूची।	8
परिशिष्ट-III	आश्वासन जिनके उत्तर इस प्रतिवेदन के तैयार होने तक प्राप्त नहीं हुए, की सूची।	9

समिति का गठन

सभापतिः

श्री विनोद कुमार

सदस्यः

2. श्री विनय कुमार
3. श्री मोहन लाल ब्राक्टा
4. श्री लखविन्द्र सिंह राणा
5. श्री राकेश सिंघा
6. श्री होशयार सिंह
7. श्री जीत राम कटवाल
8. श्री सुरेन्द्र शौरी
9. श्री विशाल नैहरिया

<u>हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय :</u>

1. श्री यशपाल शर्मा : सचिव
2. श्रीमती रीता देवी : अवर सचिव एवं समिति अधिकारी

प्रस्तावना

मैं, सभापति, मानव विकास समिति(तेरहवीं विधान सभा)(वर्ष 2022-23) समिति द्वारा प्रदत्त अधिकार से समिति का 40वाँ.. **मूल प्रतिवेदन** जोकि **आयुष विभाग** से सम्बंधित है व सदन में माननीय मन्त्री द्वारा दिए गए आश्वासनों पर आधारित है, को सदन में उपस्थापित करता हूँ।

मानव विकास समिति का गठन हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973(नवम् संस्करण) के नियम 209 व 211 की अनुपालना में अधिसूचना संख्या: वि0स0-विधायन-समिति गठन/1-14/2018, दिनांक 28 मार्च, 2022 को किया गया।

समिति ने दिनांक 11-12-2020 व 12-07-2022 को आयोजित बैठकों में आश्वासनों के प्राप्त विभागीय उत्तरों पर विचार-विमर्श उपरान्त की गई सिफारिशों/टिप्पणियों के आधार पर प्रतिवेदन तैयार करने का निर्णय लिया।

समिति ने इस प्रतिवेदन को दिनांक 10-08-2022 की आयोजित बैठक में विचारोपरान्त अनुमोदित किया तथा सभापति को इसे सदन में उपस्थापित करने के लिये प्राधिकृत किया।

समिति, सचिव (आयुष), हिमाचल प्रदेश सरकार एवं विभाग के अन्य पदाधिकारियों का आभार प्रकट करती है, जिन्होंने समिति को लिखित रूप में सूचना उपलब्ध करवाई।

समिति, सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा तथा विधान सभा सचिवालय के उन अधिकारियों/कर्मचारियों का भी आभार प्रकट करती है, जिन्होंने इस प्रतिवेदन की रूप-रेखा तैयार करने में समिति को सहयोग दिया।

(विनोद कुमार)
सभापति,
मानव विकास समिति।

शिमला-171004
दिनांक : 10/08/2022

प्रतिवेदन

मानव विकास समिति (तेरहवीं विधान सभा)(वर्ष 2022-23) के अर्न्तगत आयुष विभाग से सम्बन्धित तेरहवीं विधान सभा के विभिन्न सत्रों में माननीय मंत्री द्वारा सदन में प्रश्नों के उत्तरों एवं वक्तव्यों पर दिए गए आश्वासनों के सम्बन्ध में विभाग से प्राप्त उत्तरों पर समिति ने दिनांक 11-12-2020 व 12-07-2022 को आयोजित बैठकों में संवीक्षा उपरान्त जिन आश्वासनों के विभागीय उत्तरों के दृष्टिगत कोई टिप्पणी नहीं की, उन्हें समाप्त करने का निर्णय लिया तथा उनका विवरण इस प्रतिवेदन के **अध्याय-I** व **परिशिष्ट-I** में दर्शाया गया है। समिति जिन आश्वासनों के विभागीय उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुई और विभाग से अतिरिक्त जानकारी चाही उनका विवरण **अध्याय-II** व **परिशिष्ट-II** में दर्शाया गया है तथा जिन आश्वासनों के उत्तर इस प्रतिवेदन को तैयार करने तक उपलब्ध नहीं हुए उनका विवरण **परिशिष्ट-III** में दर्शाया गया है।

समिति निर्देश देती है कि आश्वासनों को निर्धारित समय-सीमा में कार्यान्वयन करने हेतु ठोस पग उठाएं और जिन आश्वासनों पर समिति द्वारा अतिरिक्त जानकारी चाही है तथा जिन आश्वासनों के उत्तर प्रतिवेदन तैयार करने तक अपेक्षित हैं उन सभी के उत्तर शीघ्रातिशीघ्र समिति के अवलोकनार्थ भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि समिति उनकी समय रहते संवीक्षा कर सके।

अध्याय-I

समिति जिन आश्वासनों के विभागीय उत्तरों से सन्तुष्ट हुई और उन्हें समाप्त करने का निर्णय लिया, का विवरण:-

1. आश्वासन संख्या: 1/2019-दुकानों का आबंटन।

श्री पवन कुमार काजल विधायक (कांगड़ा) द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या: 1263, दिनांक 21-08-2019 कि राजीव गांधी आयुर्वेदिक अस्पताल पपरोला में क्या सरकार गत् तीन वर्षों से बन्द पड़ी दुकानों का आबंटन करने का विचार रखती है, का लिखित उत्तर माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस प्रकार दिया कि:-

"अब इनके आंबटन हेतु शीघ्र कार्यवाही कर ली जाएगी।"

विभाग ने दिनांक 28-07-2020 को लिखित उत्तर द्वारा समिति को अवगत करवाया कि दुकानों के आबंटन हेतु चिकित्सा अधीक्षक, राजीव गांधी आयुर्वेदिक अस्पताल पपरोला द्वारा दिनाक 11.02.2020 को खुली नीलामी की गई और दुकानों को आबंटित कर दिया गया है जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:

1. डेली नीड स्टोर (जूस/सब्जी/फल) के लिये दुकान आबंटित की गई है।
2. प्रयोगशाला के लिये दुकान आबंटित की गई है।
3. ऐनक विक्रय केन्द्र के लिये भी दुकान आबंटित की गई है।

उपरोक्त दुकानों का आबंटन दिनांक 01-03-2020, चिकित्सा अधीक्षक, राजीव गांधी आयुर्वेदिक अस्पताल पपरोला द्वारा कर दिया गया है तथा सम्बन्धित फर्मों से शपथ पत्र प्राप्त होने के उपरान्त निर्धारित किराये पर फर्मों को सौंप कर फर्मों द्वारा उक्त दुकानों का परिचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।

समिति ने दिनांक 11-12-2020 की आयोजित बैठक में विभागीय उत्तर के दृष्टिगत इस आश्वासन को समाप्त करने का निर्णय लिया।

(आश्वासन समाप्त)

2. आश्वासन संख्या:2/2019-दैनिक वेतन भोगी

श्री रमेश चन्द ध्वाला विधायक (ज्वालामुखी) द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या: 1511, दिनांक 29-08-2019 के "क" व "ख" भाग के संदर्भ में उन्हीं द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न कि जो कर्मचारी वर्ष 2001, 2002 और 2003 में पार्ट टाइम पर लगे। वे 12 साल तक पार्ट टाइम पर रहे और सात साल उनको डेली पर लगे हुए हो गए हैं को कब तक नियमित किया जाएगा, के उत्तर में माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस प्रकार कहा कि:-

> **"इस पर अवश्य कार्रवाई करेंगे, जब पद सृजित हो जाएंगे तो जो नियमित होने वाले कर्मचारी हैं, वे नियमित हो जाएंगे।"**

विभाग ने दिनांक 23-03-2020 को लिखित उत्तर द्वारा अवगत करवाया कि दैनिक भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु कार्मिक विभाग के पत्र संख्या **PER(AP)-C-B-**(2)-1/2014, दिनांक 21.02.2019 द्वारा **prescribed**

आवश्यक शर्त यह है कि इस प्रयोजन हेतु किसी नये पद का सृजन नहीं किया जायेगा। अपितु **Class-IV** या इसके समतुल्य **(analogous)** श्रेणी के रिक्त पदों के विरूद्ध ही दैनिक भोगी कर्मियों का नियमितीकरण किया जायेगा। अतः भविष्य में जैसे जैसे चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पद उपलब्ध होंगे तदनुसार विभाग द्वारा पात्र दैनिक भोगी कर्मियों को नियमित करने बारे आगामी कार्रवाई की जाएगी।

इस पर समिति ने दिनांक 09-07-2020 की बैठक में जानना चाहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो नीति दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण हेतु जारी की गई है क्या उसे आयुर्वेद विभाग द्वारा अंगीकृत नहीं किया गया है? यदि नहीं, तो समिति अनुशंसा करती है कि आयुर्वेदा विभाग में कार्यरत्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उसकी अनुपालना करते हुए नियमित किया जाए।

इसी संदर्भ में विभाग ने समिति को दिनांक 11-09-2020 को लिखित उत्तर द्वारा अवगत करवाया कि हिमाचल प्रदेश सरकार (कार्मिक विभाग) द्वारा जारी / अधिसूचित की गई दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण की नीति को आयुर्वेद विभाग द्वारा अंगीकृत किया गया है, जिसके अन्तर्गत ही इस विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को समय-समय पर नियमित कर रहा है और भविष्य में भी सरकार द्वारा जारी हिदायतों की अनुपालना करते हुए दैनिक वेतन भोगियों को नियमित किया जायेगा।

इस पर समिति ने दिनांक 11-12-2020 की बैठक में पुनः विभाग से जानना चाहा कि आयुर्वेद विभाग में दिनांक 29.08.2019 तक कुल कितने पार्ट टाइम एवं

दैनिक वेतन भोगी कार्यरत थे? (ii) दिनांक 11.12.2020 तक इन में से कितने पार्ट टाइम को दैनिक वेतन भोगी बनाया गया है और क्या जिन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने 7 वर्ष का कार्य काल पूर्ण कर लिया है उन सभी को नियमित कर दिया गया है? पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध करवाया जाए।

इसी संदर्भ में विभाग ने दिनांक 18-02-2021 समिति को अवगत करवाया कि विभाग में दिनांक 29.08.2019 तक 12 पार्ट टाइम एवं 190 दैनिक वेतन भोगी कार्यरत थे। दिनांक 11.12.2020 तक 171 पार्ट टाइम को दैनिक वेतन भोगी बनाया गया था। विभाग में इस समय 156 दैनिक वेतन भोगियों कार्यरत हैं जिसमें से 117 दैनिक वेतन भोगियों ने 7 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है परन्तु चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की अनुपलब्धता के कारण इन्हें नियमित नहीं किया जा सका है। जैसे-2 भविष्य में उक्त श्रेणी के पद उपलब्ध होते रहेंगे तदनुसार इन्हें वरिष्ठता के आधार पर नियमित कर दिया जाएगा, जैसा कि विभाग पहले भी करता आया है।

समिति ने दिनांक 11-12-2020 की आयोजित बैठक में विभागीय उत्तर के दृष्टिगत इस आश्वासन को समाप्त करने का निर्णय लिया।

(आश्वासन समाप्त)

अध्याय-II

समिति जिन आश्वासनों के विभागीय उत्तरों से सन्तुष्ट नही हुई तथा अतिरिक्त जानकारी हेतु लम्बित रखने का निर्णय लिया, का विवरण।

1. आश्वासन संख्या: 5/2020-College of Ayurvedic Pharamaceutical Science Jogindernagar.

श्री राकेश सिंघा विधायक (ठियोग) द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या: 2409, दिनांक 02-03-2020 कि whether there is any proposal for Nationalization of College of Ayurvedic Pharmaceutical Science Jogindernagar? का उत्तर माननीय मुख्य मंत्री ने इस प्रकार दिया कि:-

"The matter is under consideration."

विभाग ने दिनांक 22-02-2021 को लिखित उत्तर द्वारा अवगत करवाया कि मामला सरकार के विचाराधीन है।

समिति ने दिनांक 12-07-2022 को सम्पन्न हुई बैठक में आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंस जोगिन्द्रनगर के महाविद्यालय के राष्ट्रीयकरण के सन्दर्भ में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की अद्यतन स्थिति से अवगत होना चाहा।

(आश्वासन लम्बित)

परिशिष्ट-I

समिति जिन आश्वासनों के विभागीय उत्तरों से सन्तुष्ट हुई और उन्हें समाप्त करने का निर्णय लिया:-

क्र0सं0	आश्वासन संख्या	विषय	समाप्त करने की तिथि
1.	1/2019	दुकानों का आबंटन	11.12.2020
2.	2/2019	दैनिक वेतन भोगी	12.07.2022

परिशिष्ट-II

समिति जिन आश्वासनों के विभागीय उत्तरों से सन्तुष्ट नहीं हुई तथा अतिरिक्त जानकारी हेतु लम्बित रखने का निर्णय लिया:-

क्र0सं0	आश्वासन संख्या	विषय	लम्बित रखने की तिथि
1.	5/2020	College of Ayurvedic Pharamaceutical Science Jogindernagar	12.07.2022

परिशिष्ट-III

जिन आश्वासनों के उत्तर इस प्रतिवेदन को तैयार करने तक उपलब्ध नहीं हुए, का विवरण:-

क्र0सं0	आश्वासन संख्या	विषय
1	3/2020	आयुर्वेद अस्पताल खोलने बारे।
2	4/2020	अल्ट्रासाउंड मशीन
3	6/2020	आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र
4	7/2020	नियम-61 के अन्तर्गत जड़ी-बूटी के उत्पादन बारे
5	8/2022	AHCs
6	9/2022	Ayurvedic Dispensary Dargi-Chalahal
7	10/2022	राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान